

न्यायालय— सिविल जज ( सी०डि० ), तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :- 138/2018

CIS No. :- PS-176/2018

कृष्णावती देवी बनाम रामचन्द्र महतो एवं अन्य

दिनांक—18.12.2020

अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी सं०—1 रामचन्द्र महतो पूर्व में अभिलेख पर दिनांक 19.09.2019 को उपस्थित आ चुके हैं, परन्तु उसके द्वारा जबाबदेही दाखिल नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रतिवादी सं०—1 रामचन्द्र महतो को आदेश दिनांक 12.02.2020 द्वारा जबाबदेही दाखिल करने से वंचित किया जा चुका है। इसी दौरान प्रतिवादी सं०—1 रामचन्द्र महतो की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 19.08.2020 द्वारा प्रतिवादी सं०—1 रामचन्द्र महतो के वारिसानों को वाद में प्रतिस्थापित किया गया। तदुपरांत दिनांक 25.09.2020 को प्रतिवादी सं०—1 रामचन्द्र महतो के वारिसान 1/1. मुस्मात दीपराजी देवी, 1/2. चमरी देवी उर्फ प्रेमा देवी, 1/3. प्रेमशिला देवी जरिये वकालतन न्यायालय उपस्थित आये। परन्तु इनके द्वारा आज तक जबाबदेही दाखिल नहीं किया गया। जबाबदेही दाखिल करने की विधि द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुका है। अतएव ऐसी में प्रतिवादी सं०—1 रामचन्द्र महतो के विधिक वारिसानों 1/1. मुस्मात दीपराजी देवी, 1/2. चमरी देवी उर्फ प्रेमा देवी, 1/3. प्रेमशिला देवी को जबाबदेही दाखिल करने से वंचित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं० 1/1. मुस्मात दीपराजी देवी, 1/2. चमरी देवी उर्फ प्रेमा देवी, 1/3. प्रेमशिला देवी की ओर से उपस्थित होकर बयान तहरीरी दाखिल न करने के कारण वाद की कार्यवाही प्रतिवादी सं० 1/1. मुस्मात दीपराजी देवी, 1/2. चमरी देवी उर्फ प्रेमा देवी, 1/3. प्रेमशिला देवी के विरुद्ध आज एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की जाती है। अभिलेख वास्ते वादी साक्ष्य हेतु दिनांक—23.01.2021 को पेश हो।

अपर सिविल जज ( सी०डि० ) तृतीय  
न्यायालय कक्ष—4, नरकटियागंज।